न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ (चूरू)

बइजलास- पंकज गढ़वाल R.A.S.

वाद संख्या- 182/2020

निर्णय दिनांक- 18-11-2020

1. अमर सिंह
2. पवन कुमार
3. बलवीर
4. रमेश कुमार
5. राजेश कुमार
6. रामकिशन
7. रिशाल सिंह
8. वेदप्रकाश
9. सतवीर

] पुत्रगण बिरखाराम जाति जाट निवासी बास जीराम तहसील राजगढ़ जिला चूरू

10. विजेन्द्र
11. संजय कुमार

] पुत्रगण धन सिंह जाति जाट निवासी बास जीराम तहसील राजगढ़ जिला चूरू

– वादीगण

बनाम

1. किरसना पुत्री बिरखाराम
2. रोशनी पुत्री बिरखाराम
3. शान्ति पत्नी बिरखाराम

] जाति जाट निवासी बास जीराम तहसील राजगढ़ जिला चूरू

4. दी सेन्ट्रल कोपरेटिव बैंक लिमिटेड शाखा राजगढ़ जिला चूरू जरिए शाखा प्रबन्धक
5. भूमि विकास बैंक शाखा राजगढ़ तहसील राजगढ़ जिला चूरू जरिए शाखा प्रबन्धक
6. श्रीमान तहसीलदार (उप पंजीयक) राजगढ़ जिला चूरू

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत खाता विभाजन अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम हर प्रकार के साक्ष्यों के आधार पर।

उपस्थित :-

1. श्री अजय सिंह सहारण अधिवक्ता वास्ते वादीगण
2. " नरेन्द्र कुमार अधिवक्ता वास्ते प्रतिवादी सं. 1 ता 3

निर्णय

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि इस न्यायालय के प्राथमिक निर्णय व डिक्री के बाद उभय पक्ष ने एक प्रार्थना पत्र मय विभाजन प्रस्ताव नक्शा अपनी सहमति हस्ताक्षरित व अंगूठा निशान पेश कर निवेदन किया है कि संलग्न विभाजन प्रस्ताव के अनुसार अंतिम डिक्री पारित की जावे। विभाजन प्रस्ताव पर समस्त पक्षकारान के सहमति स्वरूप हस्ताक्षर अंगूठे चस्पा हैं। अतः प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव पक्षकारों की सहमति स्वरूप पेश किये जाने पर स्वीकार किया जाता है तथा निम्न प्रकार विभाजन कर अंतिम डिक्री पारित किये जाने के आदेश दिए जाते हैं। प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव को निर्णय व डिक्री का भाग समझा जावे।

1. अमरसिंह, पवनकुमार, बलबीर, रमेशकुमार, राजेशकुमार, रामकिशन, रिशालसिंह, वेदप्रकाश, सतबीर पुत्र बिरखाराम 9/10 हिस्सा ब हिस्सा बराबर राहिन दी सेन्ट्रल कोपरेटिव बैंक लिमिटेड शाखा राजगढ़, विजेन्द्र, संजयकुमार पुत्र चनसिंह हिस्सा 1/10 ब हिस्सा बराबर राहिन भूमि विकास बैंक शाखा राजगढ़ जाति जाट निवासी बास जीराम खातेदार के हक हिस्सा में ख०न० 171 रकबा 0.01 है० गै०मु० कुआ ख०न० 172 मी० रकबा 3.55 है० बा-च- लगान 3.55 ख०न० 102 मी० रकबा 2.33 है० बा-च- लगान 2.33 किता 3 कुल रकबा 5.89 है० बा-च लगान 5.88 वाके रोही बास जीराम तहसील राजगढ़ जिला चूरू नक्शा विभाजन प्रस्ताव में बरंग सफेद दर्शाए अनुसार रहेगी।

2. शान्ति पत्नी बिरखाराम, रोशनी किरसना पुत्रियाँ बिरखाराम हि० 1/3 ब हि बराबर जाति जाट निवासी बास जीराम खातेदार के हक हिस्सा में ख०न० 172 मी० रकबा 1.00 है० बा-च- लगान 1.00 ख०न० 102 मी० रकबा 0.75 है० बा-च- लगान 0.75 किता 2 कुल रकबा 1.75 है० लगान 1.75 वाके रोही बास जीराम तहसील राजगढ़ जिला चूरू नक्शा विभाजन प्रस्ताव में बरंग पीला से दर्शाए अनुसार रहेगी।

3. ख०न० 172 मी० रकबा 0.060 है० गै०मु० रास्ता नक्शा विभाजन प्रस्ताव में बरंग गुलाबी से दर्शाए अनुसार रहेगा।

जिन पक्षकारान का हिस्सा बैंक के रहन है वह यथावत रहन रहेगा। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 10.11.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जा कर सरे इजलास सुनाया गया